सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 544 राँची, मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

3 नवम्बर, 2025

संख्या-03/आरोप-11-49/2025-33602 (HRMS)--राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2743 दिनांक 09.10.2025 के माध्यम से उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-430/स्था०, दिनांक 26.09.2025 द्वारा श्री प्रमोद कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-99/25, षष्ठम बैच), अंचल अधिकारी, मझिआंव, गढ़वा के विरूद्ध कार्यालय में आए हुए लोगों से दुव्र्यवहार एवं मारपीट करने के साथ-साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी देने, कार्यालय अवधि में शराब का सेवन करने, पैसे का लेन-देन करने तथा जन प्रतिनिधि के साथ समन्वय में कमी संबंधी आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार को निलंबित करने एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की गयी है ।

2. अतः श्री प्रमोद कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप एवं उपायुक्त, गढ़वा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री प्रमोद कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्री प्रमोद कुमार का मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में उनको झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Sl. No.	**Employee Name (G.P.F. No.)**	**Decision of the Competent Authority**	**Effective Date**
1	**2**	**3**	**4**
1	PRAMOD KUMAR (250570)	श्री प्रमोद कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-99/25, षष्ठम बैच), अंचल अधिकारी, मझिआंव, गढ़वा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।	03/11/2025

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 544 - 50